संख्याः /X-3-20/2(16)/2020

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 23 जुलाई, 2020

वन अनुभाग–3

विषयः जनपद देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़ मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0–507 यमुनापुल–खरसौना–क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54 (10.00 किमी0), यमुना–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईन्ट (21.00 किमी0), यमुनापुल–सुमनक्यारी (11.20 किमी0) एवं एच0एस0 08 मसेरी चम्बा मार्ग से मसूरी–धनोल्टी (34.00 किमी0), कुल 76.20 किमी0 सड़क/मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.552 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षों की अनुमति दिये जाने/प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2453/FP/UK/OFC/36800/2018, दिनांक 12 मई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़ मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0–507 यमुनापुल–खरसौना–क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54 (10.00 किमी0), यमुना–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईन्ट (21.00 किमी0), यमुनापुल–सुमनक्यारी (11.20 किमी0) एवं एच0एस0 08 मसेरी चम्बा मार्ग से मसूरी–धनोल्टी (34.00 किमी0), कुल 76.20 किमी0 सड़क/मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.552 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षों की अनुमति दिये जाने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0 दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ0न0–5–3/2007–एफ0 सी0, दिनांक 05.02.2009, एफ0न0–11–568/2014–एफ0सी0, दिनांक 02.02.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–156/7–1–2005–500(826)/2002, दिनांक 09.09.2005 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/**सैद्धान्तिक स्वीकृति** प्रदान करते हैं–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. फाईबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान/खुदाई के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के लिए संबंधित लो0नि0वि0, डिविजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति में पत्र/आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

संख्याः 492 (1)/ X-3-20/2(16)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. प्रबन्धक, रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि0, प्लाट नं0–32, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner